तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री आसकरण मोहता निवासी सदर बाजार, पी.ओ.देशनोक जिला बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 237/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

: निर्णय :

30.10.17

1. उभयपक्ष हाजिर नहीं।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 29.07.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से सूचना चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलवाई जावे।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन–पत्र उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से संबंधित होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रेषित करते हुए प्रार्थी को पत्र संख्या 2664 दिनांक 03.10.17 द्वारा सूचित किया। उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने पत्र संख्या 2294 दिनांक 24.10.17 से जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में कोई विवरण अंकित नहीं है। प्रेषित जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अपीलार्थी की और से सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र का प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, या उसके नियंत्रण में है। उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.7.17 जो उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को नहीं भिजवाये जाने के कारण अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनाक 28.7.17 रजिस्टर्ड डाक से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को भिजवावें। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत को पाबन्द किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर